भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

आर0ई0आर0 वाद सं0–01/2016–17

रामजी साह, गंगा साह– प्रथम पक्ष

बनाम्

प्रधानाध्यापक, संत फांसिस मध्य विद्यालय, छोटी मिशन, पोड़ैयाहाट– द्वितीय पक्ष

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति

6/6/2017

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष द्वारा पूर्व में अपना पक्ष रखा गया है। यह वाद अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक–243/रा0, दिनांक–16.04.2016 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया है।

अंचलाधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक–243/ रा0, दिनांक–16.04.2016 के प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम–पोड़ैयाहाट, थाना नं0–121, बसौढ़ी खाता नं0–279, दाग नं0– 865, रकवा–00–19–10 धुर भूमि जमाबन्दी रैयत–रामदास भगत के नाम से सर्वे पर्चा में दर्ज है। पंजी–।। में इसी खाता का रकवा–00–03–10 धुर जमीन रैयत रामदास भगत के नाम से दर्ज है, जिसका आवेदक द्वारा लगान रसीद प्राप्त किया जाता है। आवेदक द्वारा कुल रकवा–00–19–10 धुर के लगान रसीद की माँग किया जा रही है। जबकि पंजी–।। में रकवा–00–03–10 धुर जमीन दर्ज है, जिसपर आवेदक का दखल कब्जा है। शेष रकवा– 00–16–00 कट्ठा भूमि संत फांसिस मध्य विद्यालय, छोटी मिशन, पोड़ैयाहाट के दखल कब्जे में है।

द्वितीय पक्ष की तरफ से प्रधानाध्यापक, संत फांसिस मध्य विद्यालय, छोटी मिशन, पोड़ैयाहाट द्वारा कागजात प्रस्तुत किया गया है एवं मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा गया है।

प्रस्तुत किये गये कागजात एवं मौखिक रूप से रखे गये पक्ष के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि संत फांसिस मध्य विद्यालय, छोटी मिशन, पोड़ैयाहाट को वैद्य रूप से भूमि का अंतरण नहीं हुआ है। पूर्व में किसी दस्तावेज द्वारा भूमि प्राप्ति का अस्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके आलोक में भूमि के हस्तान्तरण को वैद्य नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त परिस्थिति में भूमि पर अवैध रूप से दखल कब्जा किया जाना माना जाएगा। भूमि का हस्तान्तरण संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 20 के अनुरूप नहीं है।

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 42 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि अवैध रूप से द्वितीय पक्ष द्वारा अन्तरित एवं दखल कब्जा किये गये भूमि के उच्छेद का आदेश दिया जाता है। अंचलाधिकारी, पोड़ैयाहाट अवैध रूप से दखल किए गए भूमि का उच्छेद कर वर्त्तमान जमाबंदी रैयत प्रथम पक्ष को दखल दिलाना एवं राजस्व कागजात में आवश्यक संशोधन सुनिशचित करें।

अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

6.6.17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,

6.6.17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,